न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
49/2024	15.04.2024	17.02.2025

1. नक्षिता देवडवाल पुत्री रामराय मीना पौत्री शंकरलाल मीना जाति मीना निवासी रामनाथ की ढाणी, ग्राम कानडियावाला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर जरिए नाबालिग संरक्षिका माता रितिका कुमारी मीना पत्नि श्री रामराय मीना।

वादी

बनाम

1. प्रभाती देवी पत्नि स्व0 शंकरलाल
2. रामराय पुत्र स्व0 शंकरलाल
3. रतनलाल पुत्र स्व0 शंकरलाल
4. केशरदेवी पुत्री स्व0 शंकरलाल
5. कन्नू देवी पुत्री स्व0 शंकरलाल
6. जमुनादेवी पुत्री स्व0 शंकरलाल
7. सीतादेवी पुत्री स्व0 शंकरलाल

   समस्त जाति मीना समस्त पैतृक निवासी रामनाथ की ढाणी, ग्राम कानडियावाला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर राज0।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।
9. उप पंजीयक महोदय, पंजियक कार्यालय जमवारामगढ, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक

श्री पुष्पेन्द्र शर्मा :– वकील वादी।
श्री किशन लाल :– वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 7

दावा बाबत् घोषणा खातेदार एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी की ओर से एडवोकेट श्री पुष्पेन्द्र शर्मा ने यह वाद इन कथनो के आधार पर पेश किया है कि ग्राम कानडियावाला, पटवार हल्का मानोता, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में आराजी कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 253 रकबा 0.0300है0 में हिस्सा 1/128 भाग, खसरा नम्बर 435 रकबा 0.0600है0 में हिस्सा 1/128 भाग, खसरा नम्बर 210 रकबा 0.0500है0 में हिस्स 1/32 भाग, खसरा नम्बर 217 रकबा 0.0100है0, खसरा नम्बर 218 रकबा 0.8100है0, खसरा नम्बर 219 रकबा 0.0300है0, खसरा नम्बर 220 रकबा 0.2800है0, खसरा नम्बर 221 रकबा 0.0100है0, खसरा नम्बर 222 रकबा 0.5100है0, खसरा नम्बर 223 रकबा 0.3400है0, खसरा नम्बर 224 रकबा 0.1800है0, खसरा नम्बर 225 रकबा 0.1300है0, खसरा नम्बर 226 रकबा 0.1200है0, खसरा नम्बर 227 रकबा 0.1200है0, खसरा नम्बर 23 रकबा 0.9600है0, खसरा नम्बर 24 रकबा 0.0300है0, खसरा नम्बर 25 रकबा 0.1200है0, खसरा नम्बर 26 रकबा 0.5000है0, खसरा नम्बर 27 रकबा 0.3800है0, खसरा नम्बर 404 रकबा 0.0100है0, खसरा नम्बर 405 रकबा 0.0300है0, खसरा नम्बर 406 रकबा 0.0300है0, खसरा नम्बर 407 रकबा रकबा

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

0.0300है0, खसरा नम्बर 408 रकबा 0.0500है0, खसरा नम्बर 409 रकबा 0.1400है0, खसरा नम्बर 433 रकबा 0.1000है0, खसरा नम्बर 434 रकबा 0.0300है0, खसरा नम्बर 536 रकबा 0.1500है0, खसरा नम्बर 537 रकबा 0.0500है0, खसरा नम्बर 538 रकबा 0.0300है0 कुल किता 27 कुल रकबा 5.1600है0 में हिस्सा 3/16 भाग, वादिया के पितामह स्व0 शंकर पुत्र रामकुवार जाति मीना के नाम से एवं खसरा नम्बर 484 रकबा 0.0600है0 मे वादिया के पितामह स्व0 शंकर पुत्र रामकुवार जाति मीना का शामलाती हिस्सा स्थित है। जिसको आगे विवादग्रस्त आराजियात के नाम से सम्बोधित किया गया है। वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 7 के सजरा खानदान अनुसार वादिया के पितामह (दादा) शंकरलाल पुत्र रामकुवांर के जीवनकाल मे दो पुत्र प्रतिवादी सं0 2 व 3 व चार पुत्रीयां प्रतिवादी सं0 4 लगायत 7 उत्पन्न हुए व एक वारिस प्रतिवादी सं0 1 पत्नि है। जिनमें से प्रतिवादी सं0 2 के एकमात्र पुत्री सन्तान वादिया है। उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजीयात अभी तक राजस्व रिकार्ड में वादिया के पितामह शंकर पुत्र रामकुंवार के नाम से ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है, वादिया के पितामह शंकर जी का स्वर्गवास हो चुका है, जिनका अभी तक विरासती नामान्तकरण नही खुला है। वादग्रस्त भूमि पैतृक कृषि भूमि रही है, जो वादिया की कोपार्सनरी भूमि रही है इस कारण से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त मद सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि में वादिया के पितामह शंकर पुत्र रामकुंवार के नाम से दर्ज खातेदारी में वादिया का हिस्सा 1/14 भाग निहित होकर चला आ रहा है, जिस पर वादिया बरूहे कानूनी काबिज काश्त कर अपना जीवन यापन करती आ रही है। जिसको हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त करने के वादिया कानूनी रूप से अधिकारी है। प्रतिवादी सं0 1 अपने पुत्र प्रतिवादी सं0 2 व 3 से मिलकर वादिया व संरक्षिका से मारपीट करते आये है तथा वादिया को अपनी पैतृक हिस्सा भूमि में हिस्सा नही देना चाहते है, प्रतिवादी सं0 2 अन्य प्रतिवादीगणों के साथ मिलकर उक्त कृषि भूमि को खुर्द बुर्द करना चाहता है और अन्य दीगर व्यक्तियों को बैचान करने पर आमादा है, जो कि वादिया के हक हकूक अधिकारों के विरूद्व प्रभावहीन है। वादिया बरूहे कानून अपने पैतृक हक अधिकारों का राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवाने की अधिकारी है। दिनांक 07.04.2024 को प्रतिवादी सं0 2 द्वारा वादिया के हक अधिकार की भूमि को खुर्द बुर्द करने, बैचान करने तथा वादिया कों उसके हिस्से से बेदखल करने की धमकी देने के कारण वादिया को घोषणा अधिकार खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत दावा पेश करना आवश्यक हुआ। अतः उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि ग्राम कानडियावाला, पटवार हल्का मानोता, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में आराजी खसरा नम्बर 253 रकबा 0.0300है0 में वादिया को हिस्सा 1/14 दर हिस्सा 1/128 भाग, खसरा नम्बर 435 रकबा 0.0600है0 में वादिया को हिस्सा 1/14 दर हिस्सा 1/128 भाग, खसरा नम्बर 210 रकबा 0.0500है0 में वादिया को हिस्सा 1/14 दर हिस्स 1/32 भाग, खसरा नम्बर 217 रकबा 0.0100है0, खसरा नम्बर 218 रकबा 0.8100है0, खसरा नम्बर 219 रकबा 0.0300है0, खसरा नम्बर 220 रकबा 0.2800है0, खसरा नम्बर 221 रकबा 0.0100है0, खसरा नम्बर 222 रकबा 0.5100है0, खसरा नम्बर 223 रकबा 0.3400है0, खसरा नम्बर 224 रकबा 0.1800है0, खसरा नम्बर 225 रकबा 0.1300है0, खसरा नम्बर 226 रकबा 0.1200है0, खसरा नम्बर 227 रकबा 0.1200है0, खसरा नम्बर 23 रकबा 0.9600है0, खसरा नम्बर 24 रकबा 0.0300है0, खसरा नम्बर 25 रकबा 0.1200है0, खसरा नम्बर 26 रकबा 0.5000है0, खसरा नम्बर 27 रकबा 0.3800है0, खसरा नम्बर 404 रकबा 0.0100है0, खसरा नम्बर 405 रकबा 0.0300है0, खसरा नम्बर 406 रकबा 0.0300है0, खसरा नम्बर 407 रकबा 0.0300है0, खसरा नम्बर 408 रकबा 0.0500है0, खसरा नम्बर 409 रकबा 0.1400है0, खसरा नम्बर 433 रकबा 0.1000है0, खसरा नम्बर 434 रकबा 0.0300है0, खसरा नम्बर 536 रकबा 0.1500है0, खसरा नम्बर 537 रकबा 0.

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

0500है0, खसरा नम्बर 538 रकबा 0.0300है0 कुल किता 27 कुल रकबा 5.1600है0 में वादिया को हिस्सा 1/14 दर हिस्सा 3/16 भाग, खसरा नम्बर 484 रकबा 0.0600है0 में वादिया को हिस्सा 1/14 दर हिस्सा शंकर जी के नाम हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाने के आदेश प्रदान करें एवं वादग्रस्त भूमि में वादिया को उसके कब्जे काश्त से बेदखल नही करे, ना ही भूमि को बैचान हस्तान्तकरण दीगर के नाम करवाये तथा निर्माण नही करें, तथा मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें, उक्त समस्त कार्य ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करें तथा अपने एजेन्ट सर्वेन्ट, अधिनस्थ आदि से भी नही करावें।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगणों के विरूद्ध दिनांक 11.06.2024 को एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई तथा दिनांक 26.06.2024 को प्रतिवादी सं0 1 लगायत 7 की ओर से एडवोकेट श्री किशनलाल ने प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 मय वकालतनामा पेश किया। जो शामिल मिसल किया। वकील वादी ने जवाब न देकर सीधी बहस की। अतः वकील उभय पक्षों की बहस सुनकर प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सी0पी0सी0 स्वीकार किया गया।

वकील प्रतिवादीगण ने दिनांक 10.09.2024 को प्रार्थना पत्र आदेश 32 (1) सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र आ0 32 नि0 1 सी0पी0सी0 के प्रावधानानुसार रितिका कुमारी मीना के स्थान पर अव्यस्क नक्षिता देवडवाल का श्री रामराय मीना पुत्र शंकरलाल मीना निवासी ग्राम कानडियावाला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर को सरंक्षक बनाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। वकील वादी ने जवाब प्रा0प0 आ032 नि0 1 सी0पी0सी0 देकर निवेदन किया कि वादिया अव्यस्क पुत्री अपनी माता के साथ रह रही है तथा एक अव्यस्क पुत्री के लिए उसकी प्राकृतिक व नैसर्गिक संरक्षिका उसकी माता है। उनवानी वाद में रामराय मीना पक्षकार प्रतिवादी संयोजित है, तथा उसके खिलाफ वाद में अनुतोष चाहा गया है। अतः जिस व्यक्ति के खिलाफ अनुतोष चाहा गया है वह वाद में संरक्षक नही हो सकता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें। वकील उभय पक्षों की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन कर प्रार्थना पत्र आदेश 32 नि0 1 सी0पी0सी0 को दिनांक 07.11.2024 को खारिज किया गया।

वकील प्रतिवादी ने जवाब दावा प्रतिवादी सं0 1, 3 ता 7 की ओर से दिनांक 24.01.2025 को पेश कर निवेदन किया कि वादिया ने प्रतिवादी सं0 1, 3 ता 7 की ओर से कोई अनुतोष नही चाहा है। वादिया नाबालिक है जो कि अपनी माता के साथ नाना के घर रहती है। वादग्रस्त भूमि पर वर्तमान में कब्जा काश्त नही है। केवल पिता को संरक्षक बनाते हुये ही सम्पति में अपना हिस्सा दिया जाना चाहिये। वादिया की माता एक शिक्षिका है। वाद में अंकित मारपीट के कथन गलत व निराधार एवं झुठे है। अतः प्रतिवादी सं0 2 को संरक्षक बनाते हुये वादिया को पैतृक हिस्सा 1/14 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नही है।

वकील प्रतिवादी ने प्रतिवादी सं0 2 की ओर से भी पृथक से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि उक्त वाद पत्र घोषणा खातेदारी के लिये पेश जरिये संरक्षिका माता रितिका कुमारी मीना जो कि वादीया की माता व रामराय मीना की धर्मपत्नि थी लेकिन वाद पत्र दायरी से पूर्व रितिका कुमारी मीना का रामराय मीना से राजस्थानी आदिवासी समाज सेवा संघ जिला जयपुर तथा पारस्परिक रिति रिवाजों अनुसार सहमति से दिनांक 10.12.2023 को रामराय मीना से विवाह विच्छेद होने के बाद से संरक्षिका रितिका कुमारी अपने पिता के घर रह रही है व इसी आधार पर अव्यस्क पर दावा लगाने का अधिकार नही है व इसी आधार पर अव्यस्क नक्षिता देवडवाल से नक्षिता देवडवाल का माता पुत्री के संबंध के आधार पर दावा लगाने का अधिकार नही

उपखण्ड अधिकारी

है। केवल पिता को संरक्षक बनाते हुए ही सम्पति में अपना हिस्सा प्राप्त कर सकती है। वादीया को अपने पैतृक हिस्सा की भूमि को भविष्य में बालिक होने तक सुरक्षित रखने के लिये केवल पिता को संरक्षक बना कर ही सम्पति में पैतृक हिस्सा दिया जाना न्याय संगत होगा। यदि रितिका कुमारी मीना को संरक्षक बना कर भूमि में हिस्सा दिया जाता है। तो रितिका कुमारी मीना भूमियों को खुर्द बुर्द व बैचान कर सकती है। इसलिये जरिये संरक्षिका माता नक्षिता देवडवाल को भूमि दिया जाना कानूनन व न्याय संगत नही है। अतः वाद में वर्णित वादग्रस्त भूमियों वादिया नक्षिता देवडवाल पुत्री रामराय मीना को जरिये संरक्षक पिता रामराय मीना बनाते हुये ही वादग्रस्त सम्पति में पैतृक हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

वकील वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम कानडियावाला तहसील जमवारामगढ में स्थित वादग्रस्त भूमिया आराजी खसरा नम्बर 253 रकबा 0.0300है0 में वादिया को हिस्सा 1/14 दर हिस्सा 1/128 भाग, खसरा नम्बर 435 रकबा 0.0600है0 में वादिया को हिस्सा 1/14 दर हिस्सा 1/128 भाग, खसरा नम्बर 210 रकबा 0.0500है0 में वादिया को हिस्सा 1/14 दर हिस्स 1/32 भाग, खसरा नम्बर 217 रकबा 0.0100है0, खसरा नम्बर 218 रकबा 0.8100है0, खसरा नम्बर 219 रकबा 0.0300है0, खसरा नम्बर 220 रकबा 0.2800है0, खसरा नम्बर 221 रकबा 0.0100है0, खसरा नम्बर 222 रकबा 0.5100है0, खसरा नम्बर 223 रकबा 0.3400है0, खसरा नम्बर 224 रकबा 0.1800है0, खसरा नम्बर 225 रकबा 0.1300है0, खसरा नम्बर 226 रकबा 0.1200है0, खसरा नम्बर 227 रकबा 0.1200है0, खसरा नम्बर 23 रकबा 0.9600है0, खसरा नम्बर 24 रकबा 0.0300है0, खसरा नम्बर 25 रकबा 0.1200है0, खसरा नम्बर 26 रकबा 0.5000है0, खसरा नम्बर 27 रकबा 0.3800है0, खसरा नम्बर 404 रकबा 0.0100है0, खसरा नम्बर 405 रकबा 0.0300है0, खसरा नम्बर 406 रकबा 0.0300है0, खसरा नम्बर 407 रकबा 0.0300है0, खसरा नम्बर 408 रकबा 0.0500है0, खसरा नम्बर 409 रकबा 0.1400है0, खसरा नम्बर 433 रकबा 0.1000है0, खसरा नम्बर 434 रकबा 0.0300है0, खसरा नम्बर 536 रकबा 0.1500है0, खसरा नम्बर 537 रकबा 0.0500है0, खसरा नम्बर 538 रकबा 0.0300है0 कुल किता 27 कुल रकबा 5.1600है0 में वादिया को हिस्सा 1/14 दर हिस्सा 3/16 भाग, खसरा नम्बर 484 रकबा 0.0600है0 में वादिया को हिस्सा 1/14 दर हिस्सा शंकर जी के नाम हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाने के आदेश प्रदान करें एवं वादग्रस्त भूमि में वादिया को उसके कब्जे काश्त से बेदखल नही करे, ना ही भूमि को बैचान हस्तान्तकरण दीगर के नाम करवाये तथा निर्माण नही करें, तथा मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें, उक्त समस्त कार्य ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करें तथा अपने एजेन्ट सर्वेन्ट, अधिनस्थ आदि से भी नही करावें।

बहस वकील उभय पक्षों की सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। बहस का मनन करने व पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि वादिया ग्राम कानडियावाला तहसील जमवारामगढ में स्थित वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 253 रकबा 0.0300है0 में वादिया को हिस्सा 1/14 दर हिस्सा 1/128 भाग, खसरा नम्बर 435 रकबा 0.0600है0 में वादिया को हिस्सा 1/14 दर हिस्सा 1/128 भाग, खसरा नम्बर 210 रकबा 0.0500है0 में वादिया को हिस्सा 1/14 दर हिस्स 1/32 भाग, खसरा नम्बर 217 रकबा 0.0100है0, खसरा नम्बर 218 रकबा 0.8100है0, खसरा नम्बर 219 रकबा 0.0300है0, खसरा नम्बर 220 रकबा 0.2800है0, खसरा नम्बर 221 रकबा 0.0100है0, खसरा नम्बर 222 रकबा 0.5100है0, खसरा नम्बर 223 रकबा 0.3400है0, खसरा नम्बर 224 रकबा 0.1800है0, खसरा नम्बर 225 रकबा 0.1300है0, खसरा नम्बर 226 रकबा 0.1200है0, खसरा नम्बर 227 रकबा 0.1200है0, खसरा नम्बर 23 रकबा 0.9600है0, खसरा नम्बर 24 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

0.0300है0, खसरा नम्बर 25 रकबा 0.1200है0, खसरा नम्बर 26 रकबा 0.5000है0, खसरा नम्बर 27 रकबा 0.3800है0, खसरा नम्बर 404 रकबा 0.0100है0, खसरा नम्बर 405 रकबा 0.0300है0, खसरा नम्बर 406 रकबा 0.0300है0, खसरा नम्बर 407 रकबा 0.0300है0, खसरा नम्बर 408 रकबा 0.0500है0, खसरा नम्बर 409 रकबा 0.1400है0, खसरा नम्बर 433 रकबा 0.1000है0, खसरा नम्बर 434 रकबा 0.0300है0, खसरा नम्बर 536 रकबा 0.1500है0, खसरा नम्बर 537 रकबा 0.0500है0, खसरा नम्बर 538 रकबा 0.0300है0 कुल किता 27 कुल रकबा 5.1600है0 में वादिया को हिस्सा 1/14 दर हिस्सा 3/16 भाग, खसरा नम्बर 484 रकबा 0.0600है0 में वादिया को हिस्सा 1/14 दर हिस्सा पाने का अधिकारी है। इसलिए वादिया का वाद स्वीकार किया जाने योग्य है।

आदेश

अतः वादिया का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार जमवारामगढ को आदेश दिया जाता कि वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 253 रकबा 0.0300है0 में वादिया को हिस्सा 1/14 दर हिस्सा 1/128 भाग, खसरा नम्बर 435 रकबा 0.0600है0 में वादिया को हिस्सा 1/14 दर हिस्सा 1/128 भाग, खसरा नम्बर 210 रकबा 0.0500है0 में वादिया को हिस्सा 1/14 दर हिस्स 1/32 भाग, खसरा नम्बर 217 रकबा 0.0100है0, खसरा नम्बर 218 रकबा 0.8100है0, खसरा नम्बर 219 रकबा 0.0300है0, खसरा नम्बर 220 रकबा 0.2800है0, खसरा नम्बर 221 रकबा 0.0100है0, खसरा नम्बर 222 रकबा 0.5100है0, खसरा नम्बर 223 रकबा 0.3400है0, खसरा नम्बर 224 रकबा 0.1800है0, खसरा नम्बर 225 रकबा 0.1300है0, खसरा नम्बर 226 रकबा 0.1200है0, खसरा नम्बर 227 रकबा 0.1200है0, खसरा नम्बर 23 रकबा 0.9600है0, खसरा नम्बर 24 रकबा 0.0300है0, खसरा नम्बर 25 रकबा 0.1200है0, खसरा नम्बर 26 रकबा 0.5000है0, खसरा नम्बर 27 रकबा 0.3800है0, खसरा नम्बर 404 रकबा 0.0100है0, खसरा नम्बर 405 रकबा 0.0300है0, खसरा नम्बर 406 रकबा 0.0300है0, खसरा नम्बर 407 रकबा 0.0300है0, खसरा नम्बर 408 रकबा 0.0500है0, खसरा नम्बर 409 रकबा 0.1400है0, खसरा नम्बर 433 रकबा 0.1000है0, खसरा नम्बर 434 रकबा 0.0300है0, खसरा नम्बर 536 रकबा 0.1500है0, खसरा नम्बर 537 रकबा 0.0500है0, खसरा नम्बर 538 रकबा 0.0300है0 कुल किता 27 कुल रकबा 5.1600है0 में वादिया को हिस्सा 1/14 दर हिस्सा 3/16 भाग, खसरा नम्बर 484 रकबा 0.0600है0 में वादिया को हिस्सा 1/14 दर हिस्सा वादिया के दादा के नाम हिस्सा का खातेदार काश्तकार वादिया को घोषित किया जाता है तथा बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। साथ ही वादग्रस्त भूमि में वादिया को उसके कब्जे काश्त से बेदखल नही करे, ना ही भूमि को बेचान हस्तान्तकरण दीगर के नाम करवाये तथा निर्माण नही करें, तथा मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें, उक्त समस्त कार्य ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करें तथा अपने एजेन्ट सर्वेन्ट, अधिनस्थ आदि से भी नही करावें। निर्णयानुसार डिक्री जारी हो एवं पालनार्थ तहसीलदार को पत्र जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ